न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0न0 —160 / 2023(2023 / 182)

नवान : —

1. काशीराम वल्द रामलाल जाति जाट निवासी सिलवाला खुर्द त0 टिब्बी हाल आबाद मकान न0 1616 सैक्टर न0 20 पार्ट 2 हूडा, बरनाला रोड़, सिरसा, हरियाणा।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—श्री एएस जोईया प्रार्थी

निर्णय   दिनांकः 7/3/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 जीजीआर राठीखेड़ा के खाता सं0 6/6 की कुल 6.3250है0 में प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम भागीरथ वल्द रामलाल दर्ज है। जबकि इसी वाद भूमि की जमाबंदी सवंत 2033 ता 2042 में प्रार्थी का सही नाम काशीराम वल्द रामलाल दर्ज था। वाद भूमि की जमाबंदी सवंत 2043 ता 2046 तैयार करते समय सवंहन से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में भागीरथ वल्द रामलाल दर्ज कर दिया गया जो कि एक लिपिकीय भूल है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी प्रार्थी का नाम भागीरथ वल्द रामलाल दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, एवं अन्य सभी दस्तावेज में प्रार्थी का सही नाम कासीराम वल्द रामलाल ही दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पडता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम भागीरथ वल्द रामलाल की जगह कासीराम वल्द रामलाल करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार टिब्बी से तथ्यात्मक रिपॅार्ट हेतु पत्र जारी कर रिपॅार्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्राप्त रिपॅार्ट क्रमांक राजस्व/2024/2812 दिनांक 05.12.2024 में जमाबंदी चक 2075—78 में खाता सं0 6/6 में भागीरथ पुत्र रामलाल हिस्सा 1/3 जाति जाट साकिन सिलवाला खुर्द खातेदार कुल 6.325है0 दर्ज रिकार्ड है जबकि भू0 प्रबंध विभाग जमाबंदी सवंत 2033 से 2042 में खाता संख्या 44 में राजराम वल्द बस्तीराम, काशीराम वल्द रामलाल, साहबराम वल्द रामसुख जाति जाट साकिन सिलवाला खुर्द खातेदार कुल 6.325है0 नहरी दर्ज रिकार्ड एवं जमाबंदी चक 2043—46 में भी उपरोक्तानुसार दर्ज बताया है।

खण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त वाद भूमि की जमाबंदी सवंत 2033 से 2042 में प्रार्थी का सही नाम कासीराम वल्द रामलाल दर्ज है परन्तु बाद में संवहन से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में भागीरथ वल्द रामलाल दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, एवं अन्य सभी दस्तावेज में प्रार्थी का सही नाम कासीराम वल्द रामलाल ही दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम भागीरथ वल्द रामलाल की जगह कासीराम वल्द रामलाल दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र की वाद भूमि की जमाबंदी संवत 2033 से 2042 में प्रार्थी का सही नाम काशीराम वल्द रामलाल दर्ज है। तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्राप्त रिपॉर्ट क्रमांक राजस्व/2024/2812 दिनांक 05.12.2024 में भी उपरोक्तानुसार जमाबंदी सवंत 2033 से 2042 में सही नाम कासीराम वल्द रामलाल दर्ज होना बताया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद भूमि के अलावा जमाबंदी चक 3 जीजीआर के खाता सं0 7/25 जमाबंदी चक 8 एसएलडब्ल्यू के खाता सं0 3/4 में प्रार्थी का नाम काशीराम वल्द रामलाल दर्ज है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम कासीराम वल्द भागीरथ दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार टिब्बी को आदेशीत किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश अथवा कोई वाद विवाद आदि ना हो तो रोही मौजा चक 3 जीजीआर राठीखेड़ा के खाता सं0 6/6 की कुल 6.3250है0 में प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें प्रार्थी के नाम भागीरथ वल्द रामलाल की जगह सही एवं वास्तविक नाम काशीराम वल्द रामलाल दर्ज कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के भागीरथ वल्द रामलाल नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में कोई देय आदि पूर्व नाम से बकाया हो अथवा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम भागीरथ वल्द रामलाल ही लागु होगा तथा प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

निर्णय आज दिनांक 7/3/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner